"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2006—भाद्र 24, शक 1928

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक/1041/पं./22/2006.—छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 261) को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उपनियम (7) के खण्ड (ङ) एवं (च) का लोप किया जाए.

2. नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (1) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ख) शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र, जनभागीदारी स्कूलों, डी. पी. ई. पी., वैकल्पिक स्कूलों, औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा शतप्रतिशत सहायता प्राप्त तथा जनपद पंचायत या जिला पंचायत से संबंधित मान्यता प्राप्त ग्रामीण स्कूलों में शिक्षण अनुभव के लिए निम्नलिखित आधार पर अधिकतम 12 अंक.

1. एक वर्ष के अनुभव के लिए - 5 अंक
2. दो वर्ष के अनुभव के लिए - 8 अंक
3. तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए - 12 अंक

(न्यूनतम 8 मास के शैक्षणिक सत्र की गणना एक वर्ष के अनुभव के रूप में की जायेगी)

3. नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (1) (ग) 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ग) 1. बी. एड./बी.टी.आई./डी.एड. प्रमाण-पत्र के लिए - 11 अंक.

4. नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (एक-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (एक-क) प्रतिस्थापित किया जाय :—

(एक-क) चयन समिति, मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् रूप से तैयार अभ्यर्थियों के पात्रता मापदण्डों सूची का परीक्षण कर अनुशंसा करेगी.

5. नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (दो) में अंक 5 तथा अंक 20 के स्थान पर अंक 12 तथा अंक 50 एवं शब्द "नौ मास" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2006

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/2006/1042.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

Raipur, the 14th September 2006

NOTIFICATION

No./1041/P/22/2006.—The following amendments in the Chhattisgarh Panchayat Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Services) Rules 1997, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994), is published as per required by sub-section (3) of section 95 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration on the expiry of Seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of Secretary Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh. Dau Kalyan Singh Bhavan, Mantralaya, Raipur (Room No. 261) will be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (e) & (f) of sub rule (7) of rule 5, shall be omitted.

2. For clause (1) (b) of sub rule (9) of rule 5, the following shall be substituted, namely :—

(b) Maximum 12 marks for teaching experience in shiksha guarantee scheme center, Janbhagidari Schools, D. P. E. P., Alternative Schools, Non-formal education center, Cent-percent aided State Govt. and in Village Schools recognised by the Janpad Panchayat & Zila Panchayat on following basis :—

1.	Experience of one year	-	5 Marks
2.	Experience of Two year	-	8 Marks
3.	Experience of Three years and above	-	12 Marks

(Minimum of 8 months Teaching session will be considered as one year)

3. For Clause (1) (c)-1 of sub rule (9) of rule 5, the following shall be substituted namely :—

(c)-1 For B. Ed./B.T.I./D. Ed. Certificate - 11 Marks

4. For clause (i-A) of sub rule (9) of rule 5, the following shall be substituted :—

(i-A) The selection committee will give recommendations after examination of the list of eligibility criteria of candidates duly prepared by the evaluation committee.

5. In clause (ii) of sub rule (9) of rule 5, in Place the figure 5 & figure 20 the figure 12 & figure 50 and in Place the words "nine months" the "one year" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
P. C. MISRA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.